

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

2021/697

श्रीमान् उपरखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कणना की वर्तमान

जमाबंदी संवत् 2018-78 की खाता संख्या 135 में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति रामभजन का भैर दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति रामभजन का भैरपाल है।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

रामभजन

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति रामभजन का भैर के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति रामभजन का भैरपाल दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

भू. अभि. निरीक्षक वृत्त कणना

पटवारी हल्का कणना

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कुन्पनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्पनपुर

के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति रामभजन झा मैरुवात राजस्व

रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार साँगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कुन्पनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्पनपुर

तहसीलदार साँगोद की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति रामभजन झा मैरुवात

..... दर्ज रिकार्ड की जाए।

उपखण्ड अधिकारी साँगोद

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
(शिविर स्थान)

आदेश

दिनांक 16/11/21


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी
क. क. क.

व. भू. अ. नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम
जिला की जमाबन्दी सम्बन्धी में खाता संख्या
तहसील व

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	कागन्पा	135	रामभजन पुत्राके	रामभजन पुत्र मैरुलाल



 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

 हॉमेट जिला कोटा

क्रमांक :- 2987
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16-11-21

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली


 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

 हॉमेट जिला कोटा